निर्णय बइजलास शुभम चौधरी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
सवाई माधोपुर

प्रकरण संख्या 16/2025 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

जीसीएमएस नं0 2025/45

ए.यू. स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड जयपुर

....प्रार्थी

1. श्री मनोज गुर्जर पुत्र मोहनलाल गुर्जर निवासी सांगरवासा भूखा जिला सवाई माधोपुर 322028
2. श्री मोहन गुर्जर पुत्र प्रसादी गुर्जर निवासी सांगरवासा भूखा जिला सवाई माधोपुर 322028, अन्य पता – सम्पत्ति स्थित पट्टा न. 14 बुक न. 09 मिसल न. 02 संकल्प न. 02 ग्राम सांगरवासा ग्राम पंचायत भूखा तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।

.........अप्रार्थी / ऋणी

The Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

–:: आदेश ::–

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 19.03.2022 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के ऋण के रूप में श्री मनोज गुर्जर पुत्र मोहनलाल गुर्जर निवासी सांगरवासा जिला सवाई माधोपुर की सम्पत्ति पट्टा न. 14 बुक न. 09 मिसल न. 02 संकल्प न. 02 ग्राम सांगरवासा ग्राम पंचायत भूखा तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में परमानन्द पुत्र गोकुल का बाडा, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में सावल्या पुत्र सुखराम का बाडा व दक्षिण में जगन पुत्र रतन गुर्जर का मकान है, जिसका क्षेत्रफल 168 वर्ग गज है, को बंधक रखकर 3,25,000 (तीन लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 23.10.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद बकाया ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. सुयोग्य बैंक प्रतिनिधि को सुना। पत्रावली का भलीभॉति अवलोकन किया गया।
3. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 23.10.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, लेकिन ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नही किया गया। अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति पट्टा न. 14 बुक न. 09 मिसल न. 02 संकल्प न. 02 ग्राम सांगरवासा ग्राम पंचायत भूखा तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में परमानन्द पुत्र गोकुल का बाडा, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में सावल्या पुत्र सुखराम का बाडा व दक्षिण में जगन पुत्र रतन गुर्जर का मकान है, जिसका क्षेत्रफल 168 वर्ग गज है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
4. आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
5. आदेश आज दिनांक २८/२/२०२५ को सुनाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:07:45 IST
Reason: SelfAttested